न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/6ए/03/2024

राज0सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री अमित फौजदार पुत्र गोपी सिंह निवासी एवं प्रोपराईटर अमित फौजदार भारत गैस, कासौट, जिला डीग

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई)आदेश 2000

उपस्थितः—

1— पेरोकार प्रवर्तन अधिकारी रसद ...प्रार्थी

2—श्री रमन लाल मित्तल अभिभाषक ...अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 23.10.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई)आदेश 2000 विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि दिनांक 05.07.2024 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा कुम्हेर गेट से डीग मार्ग पर सुरेश होटल के सामने जहारवीर की छतरी के पास पहुंच कर अवेध घरेलू गैस सिलेण्डर परिवहन एवं वितरण के संबंध में कार्यवाही की गई। मौके पर एक नीले रंग का सोनालिका ट्रेक्टर नम्बर आर.जे. 05 आर 1519 जिसके साथ एक नीले रंग की ट्रोली जिस पर अमित फौजदार भारत गैस लिखा है जुडी हुई पाई गई। ट्रैक्टर ट्रोली का ड्राईवर सुखदेव पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी कासोट मौके पर मौजूद मिला, ट्रोली में 14.2 किग्रा के 34 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 22 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर मौजूद मिले एवं 2 भरे वाणिज्यिक 19 किग्रा क्षमता के मौजूद पाये गये। ट्रोली के बगल में जमीन पर 14.2 किग्रा के भरे 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 12 खाली सिलेण्डर मौजूद मिले साथ ही एक भरा हुआ 19 किग्रा का सिलेण्डर मिला। उक्त पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों, वाणिज्यिक सिलेण्डरों के गोदाम से निर्गमन संबधी दस्तावेज एवं भरतपुर में उक्त वाहन के माध्यम से परिवहन

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

एवं वितरण संबंधी किसी भी प्रकार के दस्तावेज मौके पर जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रोपराईटर अमित फौजदार द्वारा भरतपुर एवं सेवर के उपभोक्ताओं को वितरण हेतु इस वाहन के माध्यम से कासौट से सिलेण्डर लाकर वितरण करना बताया, परन्तु मौके पर किसी भी प्रकार का कैश मीमो इत्यादि कथन की पुष्टि में उपलब्ध नहीं कराया गया। मौके पर उपस्थित अमित के पिता गोपी सिंह का इस कार्य में सहयोग करना पाया परन्तु उनके द्वारा भी वितरण किये गये सिलेण्डरों के संबध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर बिना वैध एवं वांछित दस्तावेजों के एलपीजी गैस का वितरण करना एवं परिवहन करना पाया गया जो एलपीजी के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है एवं द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4 व 6 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 78 धरेलू गैस सिलसेण्डर मय एलपीजी, 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय एलपीजी, वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे 05 आरबी 1519 एवं नीले रंग की ट्रोली को राजसात किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 05.07.2024 को जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा कुम्हेर गेट से डीग मार्ग पर सुरेश होटल के सामने जहारवीर की छतरी के पास पहुंच कर अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर परिवहन एवं वितरण के संबंध जांच की गई। ट्रेक्टर मय ट्रोली जिस पर अमित फौजदार भारत गैस लिखा है जुडी हुई मिली ट्रैक्टर ट्रोली का ड्राईवर सुखदेव पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी कासोट मौके पर मौजूद मिला, जॉच करने पर ट्रोली में 14.2 किग्रा के 34 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 22 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर मौजूद मिले एवं 2 भरे वाणिज्यिक 19 किग्रा क्षमता के मौजूद पाये गये। ट्रोली के बगल में जमीन पर 14.2 किग्रा के भरे 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 12 खाली सिलेण्डर मौजूद मिले साथ ही एक भरा हुआ 19 किग्रा का सिलेण्डर मिला। उक्त पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों, वाणिज्यिक सिलेण्डरों के गोदाम से निर्गमन सम्बधी दस्तावेज एवं भरतपुर में उक्त वाहन के माध्यम से परिवहन एवं वितरण संबंधी किसी भी प्रकर के दस्तावेज मौके पर जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रोपराईटर अमित फौजदार द्वारा भरतपुर एवं सेवर के उपभोक्ताओं को वितरण हेतु इस वाहन के माध्यम से कासौट से सिलेण्डर लाकर वितरण करना बताया, परन्तु मौके पर किसी भी प्रकार का कैश मीमो इत्यादि कथन की पुष्टि में उपलब्ध नहीं कराया गया। मौके पर उपस्थित अमित के पिता गोपी सिंह का इस कार्य में सहयोग करना पाया परन्तु उनके द्वारा

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

भी वितरण किये गये सिलेण्डरों के संबध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर बिना वैध एवं वांछित दस्तावेजों के एलपीजी गैस का वितरण करना एवं परिवहन करना पाया गया जो एलपीजी के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।

बहस जबाब में पैरोकार सरकार रसद ने बताया कि योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा सभी दस्तावेज मौके पर निरीक्षण हेतु देना बताया है एवं उपरोक्त दस्तावेजों को आवश्यक रुप से सीजर करने की मंशा बताने का जो कथन किया है अप्रार्थी का यह कथन झूंठा है जिसकी पुष्टी पत्रावली में संलग्न केस मीमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी भी कैस मीमो पर गैस सिलेण्डर प्राप्त करता उपभोक्ता के हस्ताक्षर नहीं है, मौके पर उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर डिलीवरी के पश्चात खाली पाये गये गैस सिलेण्डरों के कैस मीमो पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। परन्तु अप्रार्थी ने अपने जबाब के साथ भी इन्हें सलग्न नहीं किया है। पैरोकार सरकार ने अपने बहस जबाब में यह भी बताया कि उज्जवला योजना के तहत डीलर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर बिना दस्तावेज के वितरण हेतु जा सकता है ऐसा कोई आदेश नहीं है। एजेन्सी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4 व 6 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण 78 घरेलू गैस सिलसेण्डर मय एलपीजी, 2 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय एलपीजी, वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे 05 आरडी 1519 एवं नीले रंग की ट्रोली को राजसात किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। मौके पर वक्त निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराये गये थे, परन्तु उन्होने मनमाने तरीके से नियमों के खिलाफ सीजर की कार्यवाही की गई है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि भारत सरकार की उज्जवला योजना में कोई भी व्यक्ति किसी भी गैस कम्पनी से नया गैस कनैक्शन उपभोक्ता की हैसियत से सिलेन्डर प्राप्त कर सकता है। सभी कम्पनियों के गैस वितरकों को अभियान चलाकर उपजिला, तहसील, जिला मुख्यालय पर मौके पर ही उज्जवला योजना का नया कनैक्शन लेने व निरन्तर on site गैस सिलेन्डर प्राप्त करने की व्यवस्था संचालित है। प्रार्थी संस्थान का गांव कासौट से सैंत, कुम्हेर, भरतपुर होते हुये सेवर हेलक उपभोक्ताओं को गैस सिलेन्डर वितरण करता है करता चला आ रहा है। प्रार्थी दिनांक 5.7.24 को गैस सिलेन्डर गोदाम गांव कासोट से गैस से भरे हुये 78 गैस सिलैन्डर व 3 कॉमर्सियल सिलेन्डर जरिये गेट पास ट्रैक्टर नम्बर आरजे–05–आरडी–1519 में लेकर रास्ते में उपभोक्ताओं को डौमस्टिक गैस सिलेन्डर वितरण करता हुआ भरतपुर कुम्हेर गेट पर आया था, शेष 44 गैस से भरे हुये व 34 खाली गैस सिलेन्डर व 3 कॉमर्सियल गैस सिलेन्डर थे व ट्रैक्टर ड्राईवर होटल पर खाना खाने चला गया था कुछ समय बाद ही ट्रैक्टर ट्रोली में 44 गैस से भरे व 34 खाली गैस सिलेन्डर डौमेस्टिक व तीन कॉमर्सियल गैस सिलेन्डर सीज

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

कर लिये थे, योग्य अभिभाषक ने बताया कि प्रवर्तन स्टाफ द्वारा की गई कार्यवाही विधि विरुद्ध है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि सीजशुदा सम्पत्ति भारत सरकार के स्वामित्व की है, धारा 6 ए ईसी एक्ट में भारत सरकार के स्वामित्व के सिलैन्डर की सीजर व जप्ती की कार्यवाही कानूनन नहीं हो सकती है। योग्य अभिभाषक का यह भी कथन है कि सीजशुदा सिलेन्डर ट्रांजिट में थे ट्रांजिट में गेट पास, बिल नहीं मिलने से सीजर की कार्यवाही अवैध है यही सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए ई.सी एक्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि पर गौर किया गया। पैरोकार रसद एवं योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया। अप्रार्थी का अधिकृत संस्थान गैस सिलेन्डर गौदाम गांव कासौट तहसील डीग में स्थित है। अप्रार्थी को अपने अधिकृत क्षेत्र से बाहर दिनांक 5.7.2024 को (गांव कासौट तहसील डीग क्षेत्र से) भरतपुर कुम्हेर गेट क्षेत्र में ट्रेक्टर ट्रोली में गैस सिलेण्डर लाकर वितरण करना पाया गया है। मौके पर ट्रेक्टर ट्रोली में 14.2 किग्रा के 34 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 22 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर मौजूद मिले एवं 2 भरे वाणिज्यिक 19 किग्रा क्षमता के मौजूद पाये गये। ट्रोली के बगल में जमीन पर 14.2 किग्रा के भरे 10 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 12 खाली सिलेण्डर मौजूद मिले साथ ही एक भरा हुआ 19 किग्रा का सिलेण्डर मिला। अप्रार्थी का यह कथन कि वह उज्जवला योजना के तहत उपभोक्ताओं के गैस सिलेण्डर वितरण के लिये लाया था। उनका यह कथन है कि उज्जवला योजना के तहत किसी भी क्षेत्र के उपभोक्ता को गैस सिलेण्डर वितरण कर सकता है। अप्रार्थी द्वारा अपने मौखिक कथनों के समर्थन में उज्जवला योजना के तहत भरतपुर में जिन उपभोक्ताओं को गैस वितरण किया गया है उनकी प्राप्ती रसीद कैस मीमो पेश नहीं की गई है जिससे उज्जवला योजना के तहत उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर के वितरण की पुष्टी होती हो।

योग्य अभिभाषक ने उज्जवला योजना के तहत अपने अधिकृत क्षेत्र से बाहर किसी भी क्षेत्र में गैस सिलेण्डर वितरण करने की स्वीकृति या आदेश हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उनके इस कथन की पुष्टी होती हो। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी के पास अपने अधिकृत गैस गोदाम से गैस सिलेण्डर वितरण हेतु जारी किये जाने सम्बन्धी जो दस्तावेज वांछित थे, वे भी अप्रार्थी के पास उपलब्ध नहीं थे। मौके पर 19 किलो के तीन वाणिज्यक सिलेण्डर मिलना भी यह दर्शाता है कि अप्रार्थी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं वाणिज्यक गैस सिलेण्डरों के अवैध रुप से वितरण करने एवं परिवहन करने में लिप्त है। अप्रार्थी का यह कृत्यं द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4 व 6 का स्पष्ट उल्लंघन है। अस्तु 78 धरेलू गैस

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

सिलेण्डर मय एलपीजी, 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय एलपीजी, को राजसात किया जाना उचित पाते हैं। जप्त वाहन ट्रेक्टर ट्रोली को रिलीज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त 14.2 किग्रा के 44 भरे घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 34 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 भरे वाणिज्यिक 19 किग्रा क्षमता, सिलेण्डरों को राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जप्त वाहन ट्रेक्टर नम्बर आर.जे.05 आरडी 1519 मय ट्रोली को रिलीज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23–10–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर